<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. कमांकः— 33 / 17</u> संस्थापन दिनांकः—31 / 08 / 2017 फाईलिंग नं. 44 / 17

रामा पिता अमरलाल, उम्र 67 वर्ष, निवासी बड़गांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)<u>वादी</u>

वि रू द्व

- गुड़दयाल पिता अमरलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी बड़गांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- श्रीमित सुकवंती पित फकीरा उम्र 70 वर्ष, निवासी बोरी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

-: (आदेश) :-

(आज दिनांक 13.10.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियां हैं। उपर्युक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी क. 01, 02 के पिता अमरलाल के नाम दर्ज थी परंतु अमरलाल की मृत्यु वर्ष 1956 के पूर्व हो गयी जिसके कारण पिता की संपत्ति में पुत्री को कोई भी हक हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ इसलिए वारसाना नामांतरण में अमरलाल की मृत्यु उपरांत वादी, प्रतिवादी क. 01 तथा माता गुजरी का नाम आया। मां गुजरी एवं बहन सुखवंती की सहमति से वादी एवं प्रतिवादी क. 01 के बीच विवादित संपत्ति का 45 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवारा हो गया और इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क. 01 अपनी अपनी भूमियों पर काबिज चले आये परंतु वादी एवं प्रतिवादीगण की मां गुजरी

की मृत्यु उपरांत विवादित भूमियों पर वादी तथा प्रतिवादी क. 01 के साथ—साथ उनकी बहन प्रतिवादी क. 02 का नाम भी दर्ज हो गया। प्रतिवादी क. 01 ने प्रतिवादी क. 02 से मिलकर विवादित भूमियों का बंटवारा तहसील न्यायालय से करवा लिया जिसकी अपील वादी के द्वारा की गयी परंतु तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया। बंटवारा आदेश अनुसार प्रतिवादीगण का नाम विवादित भूमियों पर दर्ज हो गया जिसका लाभ प्रतिवादीगण उठाकर विवादित भूमि को विकय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादी को 45 वर्ष पूर्व हुए बंटवारे में प्राप्त हुई भूमि के आधिपत्य से वंचित होना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वादी को 45 वर्ष पूर्व बंटवारे में प्राप्त भूमि पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप एवं उसके विकय करने का प्रसास न करें।

- 3 प्रकरण में प्रतिवादी क. 01 एवं 02 सूचना उपरांत न्यायालय में उपस्थित हुए परंतु तत्पश्चात आगामी प्रक्रम पर उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
 - 1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में किया ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

वादी के द्वारा आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र तथा विवादित भूमि के राजस्व दस्तावेज खसरा एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016—17 प्रस्तुत किये हैं। साथ ही नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.09.2016, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.07.2017 प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज किश्तबंदी एवं खसरा के अवलोकन से विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.09.2016 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रकरण में वादी एवं

प्रतिवादी की उपस्थिति में उन्हें सुनकर विधिवत बंटवारा आदेश किया गया है। तहसील न्यायालय के आदेश की वैधता का निराकरण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। यह साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के संबंध में पुनः से बंटवारा कराये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

- 6 चूंकि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया गया है इसलिए सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क. 01 आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।
- 7 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल

वादी की ओर से प्रस्तृत दस्तावेजों से विवादित भूमि पर वादी का संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य प्रकट हो रहा है। वादी ने अपने आवेदन में लेख किया है कि तहसील न्यायालय से बंटवारा अनुसार प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गये हैं परंत वादी की ओर से ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि बंटवारा आदेश के परिपालन में विवादित भूमियों पर पृथक-पृथक वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से विवातिद भूमि सहस्वामित्व की भूमि होना प्रकट हो रही है, सहस्वामित्व की भूमि पर प्रत्येक सहस्वामी का भूमि के प्रत्येक अंश पर हित एवं अधिकार होता है। यह सुरथापित विधि है कि एक सहस्वामी के पक्ष में और दूसरे सहस्वामी के विरूद्ध संपत्ति के आधिपत्य, उपयोग और उपभोग को रोकने के लिए व्यादेश नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अन्य खातेदार विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेंगे परंतु यदि विवादित भूमि के विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण पर रोक नहीं लगायी जाती है तो निश्चित ही वादी को तीसरे व्यक्ति को भी पक्षकार बनाना होगा जिससे वाद बाहुल्यता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी को निश्चित ही इससे असुविधा होगी और उससे होने वाली क्षति प्रतिवादी की तुलना में अत्यधिक होगी।